सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(4)

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : **नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0**

प्रकरण सं0 01/2010

(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

1. कृष्णलाल पुत्र लेखराज उम्र 62 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी चक 6 एम.एस. डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र दुलाराम जाति बिश्नोई निवासी हरीपुरा बारानी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. दलीप कुमार पुत्र दुलाराम जाति बिश्नोई निवासी हरीपुरा बारानी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थित : श्री कृष्णलाल प्रार्थी
श्री राजाराम बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी

आदेश **दिनांक :25.06.2018**

प्रस्तुत शिकायत का सार है कि अप्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता दुलाराम पुत्र श्री धनराज जाति बिश्नोई निवासी 2 एल.सी. तहसील रायसिंहनगर के नाम चक 6 एम.एस.डी में 14 बीघा मुरब्बा नम्बर 167/329, चक 15 एन.पी. मुरब्बा नम्बर 17 में 6.03 बीघा, मुरब्बा नम्बर 20 में 3.05 बीघा, मुरब्बा नम्बर 33 में 3 बीघा कुल 26 बीघा नहरी भूमि खातेदारी उसके नाम थी। अप्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता दुला राम ने तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि मेरे पास चक 2 एल.सी. मुरब्बा नम्बर 13 में 7 बीघा व मुरब्बा नम्बर 14 में 4.00 बीघा कुल 11 बीघा नहरी रकबा है, इसके अलावा और कोई भूमि नहीं है। अप्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता दुलाराम के पास चक 6 एमएसडी में 14 बीघा नहरी ,चक 15 एन.पी. में 12.08 बीघा नहरी भूमि कुल 26.08 बीघा नहरी खातेदारी तहसील रायसिंहनगर की भूमि छुपाकर चक 2 एल.सी. तहसील रायसिंहनगर मुरब्बा नम्बर 13 व 14 में कुल 11 बीघा नहरी भूमि का आवंटन दिनांक 05.05.1975 को जिला कलक्टर द्वारा करवा ली गई जो उक्त रकबा अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट के कानून के अन्तर्गत रकबा खारिज किये जाने योग्य है। चक 2 एल.सी. का रकबा मुरब्बा नम्बर 13 में 7.00 बीघा व मुरब्बा नम्बर 14 में 4.00 बीघा नहरी कुल 11.00 बीघा नहरी मिसल नम्बर 2658 दिनांक 05.05.1975 को जिला कलक्टर द्वारा पुख्ता आवंटन की गई है तथा क्र.नम्बर 68006 दिनांक 12.09.1994 को सनद जारी की गई है, जो जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा जारी की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राज0 कोलोनाईजेशन एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 2 एल.सी. मुरब्बा नम्बर 13 में 7.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 14 में 4.00 बीघा कुल 11 बीघा रकबा आवंटी स्वर्गीय दुलाराम पुत्र श्री धन्नाराम के नाम से आवंटन खारिज फरमाया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जाकर रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपना जबाब प्रस्तुत कर जबाब में कथन किया कि विवादित आराजी की खातेदारी सनद जारी हो चुकी है तथा अप्रार्थीगण बतौर खातेदार 35 वर्षो से स्वयं काबिज होकर काश्त करते है। मूल आवंटी का स्वर्गवास

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी की खातेदारी सनद जारी हो चुकी है तथा अप्रार्थीगण बतौर खातेदार 35 वर्षो से स्वयं काबिज होकर काश्त करते है। मूल आवंटी का स्वर्गवास हो चुका है। विवादित भूमि पर वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है। चक 6 एम.एस.डी. के मुरब्बा नम्बर 167/329 की 14.00 बीघा भूमि में करडवाली बारानी का मुरब्बा नम्बर 110/1 बारानी पैतृक सम्पति थी, जो 7.00 बीघा नहरी भूमि के बराबर मानी जाती है। गिरदावरी की नकल शामिल जबाब है। चक 15 एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 17 की 6.00 बीघा भूमि वर्ष 1975 के बाद आवंटित हुई। यह भूमि चक 2 एल.सी. की भूमि आवंटन के समय अप्रार्थीगण के पिता को आवंटित नहीं थी, केवल 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि थी। चक 2 एल.सी. के मुरब्बा नम्बर 13 में 7.00 बीघा नहरी भूमि अप्रार्थीगण के पिता दुल्लाराम पुत्र धन्नाराम के नाम से आवंटित नहीं है। चक 2 एल.सी. की भूमि अप्रार्थीगण के पिता दुलाराम के नाम वर्ष 1964 से पूर्व से टी.सी. पर चली आ रही थी। राजस्थान सरकार ने टी.सी. भूमि धारको को आवंटन का पात्र मानते हुए दुल्लाराम पुत्र धन्नाराम को भूमि का आवंटन किया गया उस समय दुल्लाराम यह भूमि आवंटन का अधिकारी एवं पात्र था तथा आवंटन प्रार्थना पत्र में कोई गलत तथ्य अंकित नहीं किये और ना ही तथ्यों को छुपाया गया। पत्रावली पर समस्त तथ्य मौजूद होने के उपरान्त विधि अनुसार सही आवंटन किया गया है। उन्होने बताया कि वक्त आवंटन चक 6 एम.एस.डी. की धारित 14 बीघा भूमि बारानी थी तथा चक 15 एन.पी. की धारित भूमि 12.00 बीघा छः माही सिंचित (गैर बारामासी सिंचित भूमि श्रैणी में) भूमि थी जिसकी नियमानुसार फलावट करने पर अर्थात बारानी 3 बीघा बराबर 1 बीघा नहरी, गैर बारामासी सिंचित भूमि 2 बीघा बराबर 1 बीघा नहरी से आकलन अनुसार कुल भूमि ($14X\frac{1}{3}+12X\frac{1}{2}=10\text{-}66$ बीघा नहरी बनती है। इतनी भूमि धारित होने से अप्रार्थीगण का पिता तत्समय भूमि आवंटन की पात्रता की सीमा 25 बीघा नहरी आवंटन हेतु पात्र था। चक 2 एलसी की भूमि की खातेदारी सनद जारी हो चुकी है। शिकायत कर्ता ने पारिवारिक रंजिश के कारण झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। लिहाजा जवाब नोटिस पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी कृष्णलाल का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राज0 कोलोनाईजेशन एक्ट निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली दाखिल दफतर फरमाई जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निम्न नजीरे पेश की गईः–

1. आर.आर.डी. 1989 पेज–441
   (Where the collector does not initiate proceedings suo moto but procceds on the application of any person, such person is bound to produce all matarial evidence to prove that the impugned allotment of land had been secured through fraud or misrepresentation or had been made against the Rules- Burden to prove his case lies on such person- Once the allottee acquires khataedari rights,his allotment cannot be cancelled under this Rule, because, khatedari rights can be taken away only under the provisions of the Rajasthan Tenancy Act- In proceedings under this Rule, private rights of a person cannot be decided..)
2. आर.आर.डी. 2003 पज–237
   (Allottee was Govt. Servant at the time of allotment- After 30 year, cancellation of allotment under Rule 14[4] is unjustified in view of principles laid down in 2001 RRD 206 -Orders of R.A.A. and that of Addl. Collector, set aside.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

3. आर.आर.डी. 2007 पेज–728,713,723

(माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ए.आई.आर. 1994 पेज–1128 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आंवटन को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड (Travesty of justice) है। यह मामला बहुत पुराना है और इतने पुराने मामले में 40 वर्ष बाद खातेदारी काश्तकार से अधिक भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना वापस लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा।

4. राज. उपनिवेशन (गंगनहर भूमि आवंटन तथा विक्रय) नियम 1956 पेज–35–36

'' नियम 4 का (1) नियम 3 के अधीन आवंटन के लिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को अधिकतम भूमि जो आंवटित की जा सकेगी, उपलब्धता के अध्यधीन बारह मास सिंचित भूमि का 25 बीघा तथा गैर बारह मास सिंचित भूमि का 50 बीघा से अधिक नहीं होगी।''

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख खसरा गिरदावरी चक 15 एन.पी. सम्वत् 2035–2036 में आवंटी दुल्ला वल्द धन्ना (भूमि वर्ग नहरी) में काश्त चना दर्ज है जबकि सम्वत् 2037–2038 में गवार दर्ज है। इसी तरह चक 2 एल.सी. (मुरब्बा नम्बर 13 में 7 बीघा नहरी) में सम्वत 2035 में कपास के साथ चना, मेथी,बरसीन, जीरा इत्यादि दर्ज है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत खसरा गिरदावरी ग्राम करडवाली तहसील रायसिंहनगर अनुसार सम्वत् 2017 व 2018 (भूमि वर्ग बारानी) आवंटी दुला वल्द धन्ना बिश्नोई के नाम 14 बीघा भूमि क्रमशः पडत व तारामीरा काश्त दर्ज है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गांव 6 एमएसडी उपनिवेशन तहसील रायसिंहनगर की खतौनी सम्वत् 2042 के अनुसार यह 14 बीघा भूमि कमाण्ड दर्शित है।

उपरोक्त प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त आवंटन वर्ष 1975 तदनुसार सम्वत् 2032 में असिंचित भूमियां आवंटी के द्वारा धारित होकर किस्म बारानी है न कि नहरी। यह उपरोक्त वर्णित बोई गई फसलो के आलोक में भी प्रमाणित है। गिरदावरी में दर्शायी फसलें बारानी या गैर बारामसी सिंचित भूमि में ही बिना सिंचाई होने वाली फसले हैं। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमियां नहरी है जबकि इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया है। नियमानुसार प्रार्थी पर ही दुर्भावना से या तथ्य छिपाकर करवाये गये आवंटन के कथन को सिद्व करने का भार है जिसे साबित करने में वह पूर्णतया विफल रहा है। आवंटन से पूर्व तक आक्षेपित भूमि बारानी थी और उसके 10 वर्ष बाद यह कमाण्ड होना सिद्व है। वक्त आवंटन आवंटी द्वारा धारित गणना में ली गई भूमि नहरी होना साबित नही है। लिहाजा उसे दो श्रैणियों में 1. बारानी पर अप्रार्थी के कथनानुसार, 2. गैर बारामासी सिंचित में शुमार मानी जाकर गणना की जानी अधिक युक्ति संगत है। इसको आधार मानकर गणना करने पर अर्थात बारानी 3 बीघा बराबर 1 बीघा नहरी, गैर बारामासी सिंचित भूमि 2 बीघा बराबर 1 बीघा नहरी से आकलन अनुसार कुल भूमि ($14 \times \frac{1}{3} + 12 \times \frac{1}{2} = 10\text{-}66$ बीघा नहरी बनती है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

आवंटी दुल्ला राम को चक 2 एल.सी. की मु.नं. 13 में 4.00 बीघा व 14 में 7.00 बीघा भूमि वर्ष 1975 में दिनांक 24.04.1975 अस्थाई (टी.सी.) आवंटित हुई, उस समय की तहसीलदार की रिपोर्ट का हवाला उस आवंटन आदेश में है कि आवंटी के पास 15 बीघा नहरी भूमि से कम भूमि है। फलस्वरूप इसका पुख्ता आवंटन आदेश कमांक 2658–60 दिनांक 05.05.1975 को हुआ और इसकी सनद 68006 दिनांक 19.09.1994 जिला कार्यालय से जारी हुई। इन तथ्यो की पुष्टि तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्रांकः–टीआरए/2326 दिनांक 17.12.2012 से होती है। आवंटी आवंटन की अधिकतम सीमा में ही शुमार होकर आवंटन का पात्र है। इसलिए आवंटन गैर कानूनी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत शिकायत/आवेदन सद्भाविक नहीं है।

निष्कर्षतः, शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन और सुदीर्घ अवधि और आवंटी को खातेदारी अधिकार मिल जाने पश्चात होने से खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 25.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/6/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।